राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प 14 (19)/चिकि. एवं स्वा./ग्रुप–3/2008 जयपुर, दिनांक 19/02/2010

कार्यालय आदेश

शासन के ध्यान में लाया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभिन्न स्तरों पर प्राप्त आवेदनों के निस्तारण में अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णरूपेण पालन नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण आवेदक को मजबूरन अपील की कार्यवाही करनी पडती है जो कि अधिनियम की मूल धारणा के अनुकूल नहीं है।

अतः सूचना के अधिकार से संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। समय सीमा के उल्लंघन के प्रकरणों मे दण्डात्मक कार्यवाही की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी तथा इसे गंभीरता से लिया जावेगा ।

— Sd —
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक (जन स्वास्थ्य/एड्स) परिवार कल्याण/एन.आर.एच.एम/निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को भेजकर लेख है कि राज्य स्तर पर एवं सभी जिलों के संबंधित सूचना अधिकारी को निर्देशों की पालना करने हेतु पाबन्द करावें ।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर ।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल, जयपुर ।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रताप नगर, जयपुर ।

उप शासन सचिव

राजस्थान – सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार – कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/2010/205 दिनांक : 26/3/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर/अजमेर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
4. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।